

सं० 10-1/2002-सी० डब्ल्यू
भारत सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
समाज रक्षा विभाग

बाल कल्याण अनुभाग
कमरा नं० 253, द्वितीय तल,
'ए' विभाग शास्त्री भवन
नई दिल्ली-110001
2 दिसम्बर, 2003

कार्यालय आदेश

विषय : राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान की कार्यकारी परिषद का गठन।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा (संस्थान के नियम 6 के संबंध में) निम्न रूप से राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान की कार्यकारी परिषद का गठन किया जाता है :-

- 1) संयुक्त सचिव (सचिव रक्षा) अध्यक्ष
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार
शास्त्री भवन
नई दिल्ली
- 2) निदेशक / उपसचिव सदस्य
- वही -
- 3) श्री शिव कुमार वत्स सदस्य
47 / 3, युनिवर्सिटी रोड़
उज्जैन-456010
- 4) प्रो० जी० एस० मूर्ति सदस्य
दीनदयाल अनुसंधान संस्थान
7-ई, स्वामी रामतीर्थ नगर
रानी झांसी रोड़
नई दिल्ली-110055
- 5) निदेशक
राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान
आर० के० पुरम
नई दिल्ली

कार्यकारी परिषद के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि अध्यक्ष के अलावा 2 वर्ष होगी।

(जे० एस० कोचन)
निदेशक (बाल कल्याण)

रा०स०र०स० की महापरिषद के सभी सदस्य
निदेशक, रा०स०र०स०, नई दिल्ली

आंतरिक परिचालन के लिए :-

- 1) निजी सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री
- 2) निजी सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री
निजी सचिव (अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री
- 3) निजी सचिव, सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री, अतिरिक्त सचिव,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, संयुक्त सचिव (समाज रक्षा)
- 4) समाज रक्षा विभाग में सभी निदेशक, उपनिदेशक / अनुभाग अधिकारी
- 5) गार्ड फाइल

(जे० एस० कोचन)
निदेशक (बाल कल्याण)